

# बजट का सार

## BUDGET AT A GLANCE

### 2015-2016

बजट के सार में बजट अनुमानों को स्थूल समूहों में बांट कर परिलक्षित किया जाता है ताकि बजट को आसानी से समझा जा सके। यह दस्तावेज प्राप्तियों एवं व्यय और राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे, राजवित्तीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे को दर्शाता है। केंद्रीय और राज्य आयोजना परिव्ययों को, संक्षेप में, दिखाया जाता है। इस दस्तावेज में वित्त वर्ष 2015-16 की केंद्रीय आयोजना की मुख्य विशेषताएं भी दी गई हैं।

2. **राजस्व घाटे** में, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता का उल्लेख किया जाता है। **प्रभावी राजस्व घाटा** राजस्व घाटे तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के बीच का अन्तर है। **राजकोषीय घाटा** राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय, जिसमें से अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है, के बीच का अंतर है। यह सरकार के सभी स्रोतों से कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। **प्राथमिक घाटे** को ब्याज अदायगियां घटाकर राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है।

3. बजट 2015-16 भारत में "सहकारी संघवाद" तथा राज्यों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया के शुभारंभ का द्योतक है। नीति आयोग का गठन तथा राज्यों की केंद्रीय करों का एक पर्याप्त बड़ा हिस्सा अंतरित करने के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना इस दिशा में उठाए गए उल्लेखनीय कदम हैं। इस बजट वर्ष में वित्त आयोग की आवंटन अवधि (2015-2020) की शुरुआत हो रही है जिसके दौरान राज्यों को केंद्रीय करों की विभाज्य राशि का 42% हिस्सा अंतरित किया जाएगा जबकि वर्तमान में यह हिस्सेदारी 32% है। राज्यों को इस बढ़े हुए मुक्त संसाधन को उपलब्ध कराने से उन्हें अपने कार्यक्रमों और स्कीमों की डिजाइन, क्रियान्वयन और वित्तपोषण में परिवर्तन लाकर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की सक्षमता प्राप्त होगी। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तीव्रतर होगी जिससे समग्र राष्ट्रीय विरासत की प्रक्रिया को योगदान मिलेगा। हमारा विचार "मजबूत राज्यों वाले टीम इंडिया" का निर्माण करना है। सरकार की यह सुदृढ़ राय है कि "भारत तभी विकसित होगा यदि इसके राज्यों का विकास हो।"

4. वर्ष 2015-16 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 465277 करोड़ रुपए है। उच्च अंतरण के बावजूद, आयोजना परिव्यय संशोधित अनुमान 2014-15 के स्तर के आस-पास रखा गया है।

5. विभाज्य राशि में राज्यों को अधिक राशि अंतरित करने का आशय यह है कि उसी अनुपात में केंद्र की राजकोषीय स्थिति संकुचित होगी। इन बाधाओं के बावजूद कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी, अल्पसंख्यक मामले, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, योग, सिद्ध और

Budget at a Glance shows Budget estimates in broad aggregates to facilitate easy understanding. The document shows receipts and expenditure as well as the revenue deficit, the effective revenue deficit, the fiscal deficit and the primary deficit. Central and State Plan Outlays are shown in brief. The document also gives the highlights of the Central Plan for Financial Year 2015-2016.

2. **Revenue deficit** refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. **Effective revenue deficit** is the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets. **Fiscal deficit** is the difference between the revenue receipts plus non-debt capital receipts and the total expenditure including loans, net of repayments. This indicates the total borrowing requirements of Government from all sources. **Primary deficit** is measured by fiscal deficit less interest payments.

3. Budget 2015-16 marks the dawn of 'Co-operative federalism' and empowerment of the States. The creation of National Institution of Transforming India (NITI) and acceptance of 14<sup>th</sup> Finance Commission's (FFC) recommendation of substantially higher devolution of Union taxes to States are landmarks in this direction. This Budget marks the beginning of the award period (2015-2020) of the FFC during which States will be devolved 42% of the divisible pool of Union taxes from existing 32%. This enhanced untied resource available to the States would enable them to address their specific needs through flexibility in design, implementation and financing of Programmes and schemes. This is expected to bring in high growth and faster development of different regions of the country contributing to overall National growth. The idea is to build 'Team India with stronger States'. The Government firmly believes that "India grows when States grow".

4. The total Plan Outlay for 2015-16 is ₹465277 crore. Despite a higher devolution, the Plan Outlay has been kept nearly at the level of RE 2014-15.

5. Higher devolution to States of the divisible pool implies that the fiscal space for the Centre shrinks in the same proportion. Despite these constraints, the current Central Plan outlay for; Agriculture, Rural Development, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Minority Affairs, Women and Child

(ii)

होम्योपैथी (आयुष) विकास, निर्यात संवर्धन, औद्योगिक कारीडोर विकसित, पूर्वोत्तर विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वास्थ्य अनुपालन, एड्स नियंत्रण, विश्वविद्यालय शिक्षण, उच्च शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पोत परिवहन, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, निःशक्तता मामले, जनजातीय मामले तथा नगरीय विकास के लिए वर्तमान केन्द्रीय आयोजना परिव्यय या तो पूर्ववत् रखा गया है या उसमें वृद्धि की गई है।

6. सड़क और रेल सेक्टरों के लिए अवसंरचना विकास आबंटन से प्रमुख उछाल लाने के लिए इनमें अत्यधिक वृद्धि की गई है। इसी तरह, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर के लिए आबंटन लगभग दो गुना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण और सागर माला परियोजना के लिए संसाधन लक्षित किए गए हैं।

7. उच्च अंतरण के कारण वर्धित वित्तीय सशक्तीकरण को देखते हुए भी राज्यों पर सामाजिक आर्थिक विकास हेतु इन संसाधनों को प्रयोग में लाने का बृहत्तर उत्तरदायित्व है। राज्यों की स्थानीय अपेक्षाओं और दशाओं के अनुसार कार्यक्रमों और स्कीमों को तैयार करने और चलाने की अधिक छूट प्राप्त होगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली राज्य योजनाओं और विशेषकर निर्धनता उन्मूलन तथा सामाजिक दृष्टि से सुविधाविहीन समूहों के उत्थान हेतु लक्षित योजनाओं को सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवांठित करके सामाजिक आर्थिक विकास में प्रेरक की भूमिका का निर्वहन करेगी।

8. केन्द्र सरकार कतिपय कार्यक्रमों को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखेगी क्योंकि या तो वे विधिक/संवैधानिक बाध्यताएं हैं, या निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशेषाधिकार वाले हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार कतिपय ऐसे कार्यक्रमों को, उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, अपने संसाधनों से सहायता देती रहेगी जो सामाजिक रूप से उपेक्षित लोगों के लिए हैं। ऐसे कार्यक्रमों की संकेतात्मक सूची *अनुबंध - I* के रूप में संलग्न है।

9. कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में, विभाजन पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिससे स्कीम के कार्यान्वयन से राज्यों का राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिक हो जाएगा। विभाजन पद्धति में परिवर्तनों का ब्यौरा, केन्द्रीय वित्तपोषण साधनों से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। विभाजन पद्धति, जिन स्कीमों की विभाजन प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, उनकी संकेतात्मक सूची *अनुबंध - II* पर दी गई है।

10. यह प्रस्ताव है कि केवल 8 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं को केन्द्र की सहायता से अलग कर दिया जाए। ऐसी योजनाओं की सूची *अनुबंध - III* में दी गई है।

11. वर्ष 2013-14 के आंकड़े अनंतिम हैं।

Development, Development of Ayurveda, Yoga, Sidha and Homeopathy, Export Promotion, Industrial Corridor Development, Development of North East, Drinking Water and Sanitation, Health and Family Welfare, Health Research, AIDS Control, School Education, Higher Education, Renewable Energy, Science and Technology, Bio-technology, Shipping, Social Justice and Empowerment, Disability Affairs, Tribal Affairs and Urban Development, have either been retained or increased.

6. To give a major boost to infrastructure development allocation for Roads and Railways sector have been significantly enhanced. Similarly, allocation for Delhi-Mumbai Industrial corridor (DMIC) has been almost doubled. Resources have been targetted towards Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Rural Electrification and Sagar Mala Project.

7. The enhanced financial empowerment on account of higher devolution also entails greater responsibility to States in using these resources for Socio-economic development. States will have greater flexibility in designing and running Programmes and Schemes as per local requirements and conditions. Government has decided that it will continue to support State Plans of national priorities especially those which are targeted towards Poverty Alleviation and upliftment of socially disadvantaged groups. Centre will play a catalytic role in Socio-economic development by contributing resources to these Programmes.

8. Central Government will continue certain programmes unaltered as they are either legal/constitutional obligations, or are privileges available to the elected representatives for welfare of their constituents. Further, and more importantly it is proposed that the Union Government may continue to support certain programmes which are for the benefit of socially disadvantaged in an unaltered manner from its own resources. The indicative list of such programmes is at *Annexure - I*.

9. In respect of some Centrally sponsored schemes, the sharing pattern will have to undergo a change with States sharing a higher fiscal responsibility in terms of scheme implementation and financing. Details of changes in sharing pattern will have to be worked out by the administrative Ministry/Department on the basis of available resources from Union Finances. Indicative list of schemes, in which sharing pattern will undergo a change is at *Annexure - II*.

10. It is proposed that only 8 Centrally Sponsored Schemes be delinked from support from the Centre. The list of such schemes is given in *Annexure - III*.

11. Actual for 2013-14 are provisional.

## बजट का सार Budget at a Glance

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2013-2014	2014-2015	2014-2015	2015-2016
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान	अनुमान	अनुमान
			Budget	Revised	Budget
			Estimates	Estimates	Estimates
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>1. Revenue Receipts</b>	<b>1014724</b>	<b>1189763</b>	<b>1126294</b>	<b>1141575</b>
2. कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	2. Tax Revenue (net to centre)	815854	977258	908463	919842
3. कर-भिन्न राजस्व	3. Non-Tax Revenue	198870	212505	217831	221733
<b>4. पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)<sup>§</sup></b>	<b>4. Capital Receipts (5+6+7)<sup>§</sup></b>	<b>544723</b>	<b>605129</b>	<b>554864</b>	<b>635902</b>
5. ऋणों की वसूली	5. Recoveries of Loans	12497	10527	10886	10753
6. अन्य प्राप्तियां	6. Other Receipts	29368	63425	31350	69500
7. उधार और अन्य देयताएं*	7. Borrowings and other liabilities *	502858	531177	512628	555649
<b>8. कुल प्राप्तियां (1+4)<sup>§</sup></b>	<b>8. Total Receipts (1+4)<sup>§</sup></b>	<b>1559447</b>	<b>1794892</b>	<b>1681158</b>	<b>1777477</b>
<b>9. आयोजना-भिन्न व्यय</b>	<b>9. Non-Plan Expenditure</b>	<b>1106120</b>	<b>1219892</b>	<b>1213224</b>	<b>1312200</b>
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	10. On Revenue Account of which,	1019040	1114609	1121897	1206027
11. ब्याज भुगतान	11. Interest Payments	374254	427011	411354	456145
12. पूंजी खाते पर	12. On Capital Account	87080	105283	91327	106173
<b>13. आयोजना व्यय</b>	<b>13. Plan Expenditure</b>	<b>453327</b>	<b>575000</b>	<b>467934</b>	<b>465277</b>
14. राजस्व खाते पर	14. On Revenue Account	352732	453503	366883	330020
15. पूंजी खाते पर	15. On Capital Account	100595	121497	101051	135257
<b>16. कुल व्यय (9+13)</b>	<b>16. Total Expenditure (9+13)</b>	<b>1559447</b>	<b>1794892</b>	<b>1681158</b>	<b>1777477</b>
17. राजस्व व्यय (10+14)	17. Revenue Expenditure (10+14)	1371772	1568111	1488780	1536047
18. जिसमें, पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	18. Of Which, Grants for creation of Capital Assets	129418	168104	131898	110551
19. पूंजी व्यय (12+15)	19. Capital Expenditure (12+15)	187675	226781	192378	241430
<b>20. राजस्व घाटा (17-1)</b>	<b>20. Revenue Deficit (17-1)</b>	<b>357048</b>	<b>378348</b>	<b>362486</b>	<b>394472</b>
		<b>(3.1)</b>	<b>(2.9)</b>	<b>(2.9)</b>	<b>(2.8)</b>
<b>21. प्रभावी राजस्व घाटा (20-18)</b>	<b>21. Effective Revenue Deficit (20-18)</b>	<b>227630</b>	<b>210244</b>	<b>230588</b>	<b>283921</b>
		<b>(2.0)</b>	<b>(1.6)</b>	<b>(1.8)</b>	<b>(2.0)</b>
<b>22. राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}</b>	<b>22. Fiscal Deficit {16-(1+5+6)}</b>	<b>502858</b>	<b>531177</b>	<b>512628</b>	<b>555649</b>
		<b>(4.4)</b>	<b>(4.1)</b>	<b>(4.1)</b>	<b>(3.9)</b>
<b>23. प्राथमिक घाटा (22-11)</b>	<b>23. Primary Deficit (22-11)</b>	<b>128604</b>	<b>104166</b>	<b>101274</b>	<b>99504</b>
		<b>(1.1)</b>	<b>(0.8)</b>	<b>(0.8)</b>	<b>(0.7)</b>

इस दस्तावेज में वर्ष 2013-14 के वास्तविक आंकड़े अंतिम हैं। Actuals for 2013-14 in this document are provisional.

§ बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर। Excluding receipts under Market Stabilisation Scheme.

\* इसमें नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है। Includes draw-down of Cash Balance.

**टिप्पणियां:** 1. सीएसओ द्वारा जारी 2014-2015 के अग्रिम अनुमानों (₹12653762 करोड़) की तुलना में 11.15% की वृद्धि मानते हुए 2015-2016 के बजट अनुमान में सघट बढकर ₹14108945 करोड़ होने का पूर्वानुमान है।

2. इस दस्तावेज में पृथक-पृथक मदें पूर्णांकन के कारण संभवतः जोड़ से मेल न खाएं।

**Notes:** 1. GDP for BE 2015-2016 has been projected at ₹14108945 crore assuming 11.5% growth over the Advance Estimates of 2014-2015 (₹12653762 crore) released by CSO.

2. Individual items in this document may not sum up to the totals due to rounding off.